अपील सूचना अधिकार संख्या 183/2015 अनवानी श्री हरिकृष्ण कांटीवाल पुत्र श्री लालचंद निवासी वार्ड न0 17, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी एवं मजि0, सादुलशहर

17–01–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरिकृष्ण कांटीवाल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2015 के द्वारा 4 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी एवं मजि0, सादुलशहर से चाही थी। तीस दिन का समय व्यतीत हो जाने पर भी उनके द्वारा जानबूझकर सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः उसकी अपील स्वीकार की जाकर निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं उनके विरूद्ध विभागीय व दाण्डिक कार्यवाही की जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी एवं मजि0, सादुलशहर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. सादुलशहर (शहरी) के विभिन्न वार्डो की उचित मूल्य की दुकानो (राशन डिपो) द्वारा वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में आवंटित किए गए केरोसिन तेल के माहवार आवंटन रजिस्टर जो कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाता है की प्रमाणित प्रतियां देवें (जिसमें दुकानदार द्वारा राशनकार्ड धारक का नाम, वस्तु व आवंटन मात्रा का विवरण लिखा जाता है)
2. वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 के मध्य विभिन्न श्रेणियो के राशनकार्ड धारको को (यथा बी.पी.एल., ए.पी.एल. एवं अन्तोदय) माहवार केरोसिन वितरण हेतू आवंटन मात्रा के संबंधी विभाग या आपके कार्यालय द्वारा जारी आदेश/परिपत्र की प्रमाणित प्रतियां देवें।
3. सादुलशहर (शहरी) के विभिन्न वार्डो के उचित मूल्य दुकानादारो को वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में आवंटित किए गए केरोसिन तेल की मात्रा के माहवार आवंटन की प्रमाणित प्रतियां देवे।
4. सादुलशहर (शहरी) के समस्त डिपोधारको के वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में केरोसिन तेल के स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां देवें।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपना प्रतिवेदन सं0 650 दिनांक 11.01.2016 प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना रसद विभाग से संबंधित होने

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

के कारण अग्रिम कार्यवाही के लिए पत्र सं0 631 दिनांक 28.10.15 से प्रवर्तन अधिकारी (रसद) सादुलशहर को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए लिखते हुए आवेदक को भी सूचित कर दिया गया था। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बिन्दु सं0 3 के लिए नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना उपलब्ध करवाना अंकित किया है उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 646 दिनांक 18.11.15 से शुल्क जमा करवा कर सूचना प्राप्ति के लिए आवेदक को लिखा गया है। आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नही करवाया गया है और न ही संपर्क किया गया है। आवेदक यदि नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाता है तो प्रवर्तन अधिकारी सादुलशहर द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना आवेदक को उपलब्ध करवा दी जावेगी।

प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:—

> उक्त सूचनांओ के संबंध में निवेदन है कि आवेदक द्वारा चाही गई समस्त सूचनांए प्रश्नात्मक एवं विस्तृत तथा थर्ड फर्म की निजि सूचनांए है। उक्त चाही सूचना के संबंध में लेख है कि राजस्थान सूचना का अधिकार नियम 2005 की धारा 2''च'' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प. 22(16)प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में ''क्यों'' प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है। रिट पेटीशन संख्या 419/2007 डॉ. सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायर में क्या वाले प्रश्नो के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।
>
> 2— इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यों आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनांये एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है।
>
> 3—इस कार्यालय में डीलरो के मानचित्र उपलब्ध है जिसमें खाद्य सामग्री आवंटन/उठाव व वितरण संबंधी सूचनांए अंकित है। यह सूचनांए नियमानुसार 2/— रूपये प्रति पेज की दर से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उपलब्ध करवाई जा सकती है। कुल पेज 168

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर द्वारा प्रवर्तन अधिकारी की उक्त सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा 29.12.15 का आवेदन पत्र प्रस्तुत निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2''च'', 7(9) एवं रिट पेटीशन सं0 419/20097 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र 16.12.2011 का हवाला देकर सूचना देने से ईन्कार किया है जबकि उसके द्वारा चारो बिन्दुओ में क्यों शब्द अंकित नही किया है। अतः उसकी अपील स्वीकार की जाकर सुचनांए उपलब्ध करवाई जावे।

चूंकि अपीलार्थी को चाही गई सूचना के संबंध में प्रवर्तन अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 04.09.15 के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपीलार्थी को सूचित किया है कि आप निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर लोक सूचना अधिकारी है और अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर से ही अपने प्रा0 पत्र दिनांक 26.10.15 में चार बिन्दुओ पर सूचना चाही थी। जिस पर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के संबंध में उनके द्वारा ही निर्णय लिया जाना था न कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा? इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और उपखण्ड अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई 4 बिन्दुओ की सूचना के संबंध में अपने स्तर पर बिन्दुवार स्पष्ट निर्णय लेवे और प्रार्थी को निर्णय से अवगत करवावे और जो सूचना देय है वह नियमानुसार अपीलार्थी को शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी एवं मजि, सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

२४६-४७
३०-१-१७

आदेश आज दिनांक 17.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना
(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर